



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-20082026-275634
CG-AP-E-20082026-275634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4425]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2026/श्रावण 29, 1948

No. 4425]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2026/SHRAVAN 29, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण तट रेलवे)

अधिसूचना

विशाखपट्टणम, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4605(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी कर्षण प्रणाली में उन्नयन कार्य के लिए कड़पा-रेणिगुंटा सेक्शन में राजमपेटा टीएसएस के निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.

क्र.सं.	सेक्शन	टीएसएस	जिला
1	कड़पा - रेणिगुंटा	राजमपेटा	वाईएसआर कड़पा

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/RJP/37A]

एच.के.भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-I

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Coast Railway)****NOTIFICATION**

Visakhapatnam, the 19th August, 2026

S.O. 4605(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Razampeta TSS in Kadapa -Renigunta section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV traction system to meet 3000 MT loading target" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The details are mentioned below.

S.No	Section	TSS	District
1	Kadapa -Renigunta	Razampeta	YSR Kadapa

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/RJP/37A]

H.K. BHAGORIA, Chief Engineer/Con-I